(128)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2939–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–8–2016 पारित द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील व जिला धार, प्रकरण कमांक 21/अ–6/2014–15.

.....

1–मोहन पिता काशीराम खाती
2–प्रकाश पिता काशीराम खाती
दोनों निवासी ग्राम कलारिया तहसील
व जिला इंदौर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

जगदीश पिता बालाल पटेल (खाती)
निवासी ग्राम चिराखान तहसील देपालपुर
जिला इंदौर

..... अनावेदक

.....

श्री एम0एल0चौधरी, अभिभाषक– आवेदकगण
श्री नितिन व्यास, अभिभाषक– अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 26/4/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार तहसील व जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–8–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसील व जिला धार के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत ग्राम सिलोटिया तहसील व जिला धार स्थित भूमि सर्वे कमांक 2 रकबा 2.550 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 295 रकबा 0.010 हेक्टेयर पर वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 88/अ–6/14–15 दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कायवाही के दौरान पेशी दिनांक

17–8–16 को आवेदकगण की ओर से अभिभाषक ने उपस्थित प्रतिपरीक्षण का समय मांगा । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 17–8–2016 को आदेश पारित कर यह पाते हुये कि आवेदकगण को अनेक अवसर दिये जाने के बाद भी उनके द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं किया जा रहा है, तहसील न्यायालय द्वारा प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त कर प्रकरण उनके साक्ष्य हेतु नियत किया गया । नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि नायब तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त करने में पूर्णतः विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है और आवेदकगण द्वारा अपनी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से उन्हें अपूर्णनीय क्षति की संभावना है । यह भी कहा गया कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप आवेदकगण को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देना चाहिये । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार करते हुये प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण को प्रतिपरीक्षण के अनेक अवसर नायब तहसीलदार द्वारा दिये गये और प्रत्येक पेशी पर नये अभिभाषक ने उपस्थित होकर प्रतिपरीक्षण का अवसर की मॉग की गई और प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया । ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष प्रकरण को लंबित रखने के उददेश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है अतः निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि यद्यपि तहसीलदार द्वारा आवेदकगण को प्रतिपरीक्षण के अनेक अवसर उपलब्ध करये गये हैं, फिर भी न्यायहित में एक अंतिम अवसर उपलब्ध कराया जाना उचित होगा, अतः

नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 17–8–2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदकगण को प्रतिपरीक्षण का अंतिम अवसर उपलब्ध कराते हुये प्रकरण का निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर